क्रम संख्या–137(ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 609/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 24, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 24, सन् 2005)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर लागू होगा।

धारा 2 का संशोधन

2–उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में, "30 जून, 2005 तक" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "30 जून, 2006 तक" अंक तथा शब्द रखे जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3–(1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (Fourth Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 24 of 2005) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 27, 2005.

No. 609/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1972] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2005
(UTTARANCHAL ACT No. 24 OF 2005)

Further to amend the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 in its application to the State of Uttaranchal.

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :--

Short title, Commencement and Application

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (Fourth Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall apply to the whole State of Uttaranchal.

Amendment of Section 2

2. In section 2 of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002, for the words and figures, "till June 30, 2005" the words and figures, "till June 30, 2006" shall be substituted.

Repeal & Savings

3. (1) The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Fourth Amendment) Ordinance No. 01, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 विधायी/432–2005–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।